पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद देहरादून की विकास खण्ड डोईवाला की श्यामपुर पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उदय राज सिंह, एम0डी0, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
5. श्री के0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
6. श्री एस0सी0 पन्त, सी0ई0(एच0क्यू0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री संजय सिंह, एस0ई0 उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– योजना के अन्तर्गत श्यामपुर गांव के विभिन्न 06 बस्तियों में 35 वर्ष पुरानी पेयजल योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। पाईप लाइन नेटवर्क की डिज़ाइन अवधि पूरी हो जाने तथा पाइप लाइनों में Calcium जमा होने के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। मानक आवश्यतानुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन में नई योजना गठित की गयी है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना में मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार है :–
   - ➢ नलकूप – 02 संख्या (01–डिस्चार्ज–700 एम0पी0एम0 एवं 01 डिस्चार्ज 1300 एल0पी0एम0)।
   - ➢ पम्प हाउस/आपरेटर रूम – (3.6 मी0 x 3.00 मी0/4.00 x 3 मी0)।
   - ➢ आर0सी0सी0 ओवर हैड टैंक–02 संख्या (300 कि0ली0 23 मीटर स्टेजिंग एवं 500 कि0ली0 20 मीटर स्टेजिंग)।
   - ➢ Submersible Electric Driven Pump - 02 संख्या (25 एच0पी0–80 मीटर हैड–750 एल0पी0एम0 डिस्चार्ज। 50 एच0पी0–95 मीटर हैड–1300 एल0पी0एम0 डिस्चार्ज)।
   - ➢ **राईजिंग मेन** – 150 एम0एम0 व्यास डी0आई0–K-9 पाईप – 480 मीटर लम्बाई।
   - ➢ **वितरण प्रणाली** – डी0आई0 K–7 (125 एम0एम0 से 200 एम0एम0) एच0डी0पी0ई0 पाईप (50 एम0एम0 व्यास से 140 एम0एम0 व्यास) – 46,932 मीटर।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत** :–

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2021 को सम्पन्न हुई।

4.2 योजना को दो फेज में बनाया गया है, फेज–1 में भट्टाफार्म एवं भट्टा कालोनी की पेयजल योजना ली गयी है तथा फेज–2 में श्यामपुर मोहल्ला, श्यामपुर, बैटरी फार्म एवं नम्बरदार फार्म की पेयजल योजना ली गयी है।

Gant

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.3 योजना के अन्तर्गत कुल 2204 हाउस होल्ड है जिन्हे FHTC प्रदान किया जाना है।

4.4 योजना में गुरूत्व आधारित जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण नलकूप योजना के रूप प्रस्तावित की गयी है जिसमें फेज–1 में 750 एल0पी0एम0 डिस्चार्ज का 01 Tubewell, तथा 300 के0एल0 क्षमता एवं 13 मीटर स्टेजिंग का ओवर हैड टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा फेज–2 की पेयजल व्यवस्था हेतु 1300 एल0पी0एम0 डिस्चार्ज का 01 नलकूप एवं 500 के0एल0 क्षमता 20 मीटर स्टेजिंग का 01 ओवर हैड टैंक प्रस्तावित किया गया है।

4.5 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।

4.6 योजना के सम्बन्ध में जल स्रोत के Source Finding Report योजना में सम्मिलित की गयी है।

4.7 पेयजल आपूर्ति का मानक शत–प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 + 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है। स्कूल, आंगनवाडी, गुरूद्वारा, मन्दिर, मजिस्द, बैंक शाखा, वृद्धाश्रम अस्पताल, बारात घर एवं पंचायत भवन के लिए 45 एल0पी0सी0डी0 तथा मवेशियों के लिए 115 लीटर प्रति जानवर प्रतिदिन के अनुसार पेयजल की गणना की गयी है।

4.8 योजना का डिजाइन अवधि 30 वर्ष तक की ली गयी है। आधार वर्ष 2021 तथा डिजाइन वर्ष 2051 रखा गया है।

4.9 योजना में जनसंख्या की गणना आधार वर्ष 2021 में 16,564 एवं डिजाइन वर्ष 2051 में 21,864 की गयी है, उक्त के अनुसार पेयजल की मांग आधार वर्ष में 1500 एल0पी0एम0 एवं डिजाइन वर्ष 2051 में 2050 एल0पी0एम0 आकंलित की गयी है।

4.10 योजना की प्रति FHTC लागत आधार रू0 32,471 एवं डिजाइन वर्ष में 42,862 आकंलित किया गया है तथा प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2021 में रू0 5,597 एवं डिजाइन वर्ष में रू0 4,513 आंकलित की गयी है।

4.11 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2021 में रू0 31,69,440 एवं डिजाइन वर्ष में रू0 10,45,91,52.00 आकंलित की गयी है।

4.12 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	Cost of Water Supply works		Convergence Work		Community Contribution	JJM Cost (3+4)-7)
		Schedule	Non Schedule	SBM / 15th finance	MnREGA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cost of Water Supply Works	551.51	311.62			11.95	851.18
2	Grey Water Mangement			28.09	3.49		
3	Rain Water harvesting Tank			4.31	0.59		
4	Cattle Trough			4.60	0.63		
				37.00	4.71		
				41.71			

JJM Cost - Rs 851.18 lakh
Convergence Cost – Rs 41.71 lakh
Community Contribution - Rs 11.95 lakh

परियोजना की कुल लागत – रू0 904.84 लाख

क्रमशः पृष्ठ–3/–

4.13 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 51.38 लाख की कटौती प्रस्तावित की गयी हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यो की लागत रू0 851.17 लाख, Convergence कार्यो की लागत रू0 41.71 लाख एवं Community Contribution मद में लागत रू0 11.95 लाख है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.12 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 904.84 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणन का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देगें कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगें।

5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकडों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।

5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।

5.4 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।

5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.10 तक निहित शर्तों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1139/738/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 16, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)